Received: Nov '23
Revised:
Accepted: Dec '23

© 2024 by the authors. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DR. BHIMRAO AMBEDKAR'S APPROACH TO CHILD DEVELOPMENT: A STUDY
डॉ. भीमराव अम्बेडकर का बाल विकास से सम्बंधित दृष्टिकोण: एक अध्ययन

Dr. Ram Lal Rathi
Assistant Professor, Department of Public Administration, Tantia University, Sri Ganganagar, Rajasthan

ABSTRACT

The people of India are forever indebted to the contributions of Dr. Ambedkar. He dedicated his entire life to the social upliftment of personality and creativity. In his speeches and discussions during his meetings, his thoughts were devoted to the welfare of Indian citizens, and he was an advocate of early attention to the development of children. Dr. Bhimrao Ambedkar's contribution to child development reflects his dedication to education, social reform and constitutional provisions. This article examines the social and political context of Dr. Bhimrao Ambedkar's efforts and initiatives to incorporate his ideas on child welfare into national policies. The research highlights Dr. Bhimrao Ambedkar's holistic approach that links child development with national progress. Education in particular is considered important through health and social and economic equality.

भारतीय जनमानस डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का सदैव ऋणी है। उनका समूचा जीवन व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सामाजिक उत्थान को ही समर्पित था। उनके भाषणों, बैठकों के दौरान की गई चर्चाओं में उनके विचार भारतीय नागरिकों के कल्याण को ही समर्पित थे और बालकों के विकास पर आरंभ से ही ध्यान देने के समर्थक थे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का बाल विकास में योगदान उनके शिक्षा, सामाजिक सुधार और संवैधानिक प्रावधानों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह लेख डॉ. भीमराव अम्बेडकर के बाल कल्याण सम्बंधी विचारों को राष्ट्रीय नीतियों में समाहित करने के प्रयासों और उनकी पहलों के सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ का अध्ययन करता है। शोध डॉ. भीमराव अम्बेडकर के समग्र दृष्टिकोण को उजागर करता है जो बाल विकास को राष्ट्रीय प्रगति से जोड़ता है। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक समानता के माध्यम से महत्वपूर्ण समझा जाता है।

Keywords: आर्थिक समानता, राष्ट्रीय विकास, मध्याह्न भोजन योजना, प्रसूति अवकाश, लैंगिक समानता, बाल विकास।

परिचय

"आज के बच्चे कल के राष्ट्र निर्माता हैं" यह विचार डॉ. भीमराव अम्बेडकर की सोच में गहराई से झलकता है। बच्चों को ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय और साहित्यिक विमर्शों में उपेक्षित देखा गया है, लेकिन डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने उनके महत्वपूर्ण योगदान को समझते हुए उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए। यह अध्ययन उनके कार्यों का विश्लेषण करता है जो बच्चों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों के लिए प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का प्रारंभिक जीवन जो सामाजिक भेदभाव और अभावों से घिरा था, उनके बाल विकास के प्रति समर्पित भावना को गहराई से प्रभावित करता है। डॉ. अम्बेडकर ने बचपन को महानता की नींव के रूप में मान्यता दी और इसे भारतीय साहित्य, इतिहास और समाजशास्त्र में उचित स्थान दिलाने के लिए जोर दिया। उनके व्यक्तिगत अनुभव और लेखन जैसे "प्रतिज्ञा," उनके संघर्ष और समाज को बदलने के संकल्प को प्रकट करते हैं।

बाल विकास के प्रति दृष्टिकोण और प्रयास बाल

अम्बेडकर के दिमाग में बाल-विकास के सम्बंध में जो विचार और योजनाएँ थीं वे उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेदों तक लेकर आए। बस यही वह कारण है कि डॉ. अम्बेडकर अन्य समाज सुधारकों से बहुत आगे के सुधारक सिद्ध हुए। डॉ. अम्बेडकर ने बाल विकास में शारीरिक, बौद्धिक, और सामाजिक विकास को आगे बढ़ने के लिए बच्चों के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किये है जो निम्न प्रकार से है:

1. शैक्षिक सुधार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति की नींव माना। उन्होंने समावेशी शिक्षा के लिए पहल की, जिसमें वंचित बच्चों के लिए छात्रावास, स्कूल, और छात्रवृत्तियां शामिल हैं।

- **बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924):** इस संगठन ने दलित बच्चों को कपड़े, किताबें, और भोजन प्रदान किया और समाज सुधार को प्रोत्साहित किया।
- **पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी (1945):** डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित संस्थानों जैसे सिद्धार्थ कॉलेज ने वंचित समूहों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी।

2. स्वास्थ्य और कल्याण

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का बाल कल्याण के प्रति दृष्टिकोण मातृ स्वास्थ्य तक विस्तृत था। उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए प्रसूति अवकाश और स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करने वाले श्रम कानून पेश किए। उनके संवैधानिक प्रयासों में बाल देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का समावेश था।

3. लैंगिक समानता और बाल अधिकार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया और यह मानते हुए कि शिक्षित माताएँ शिक्षित और सशक्त भविष्य की पीढ़ियों को जन्म देंगी। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को बाल विकास से जोड़ा और लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष अवसर प्रदान करने की वकालत की।

विधायी योगदान

भारत के संविधान की उद्देशिका का पहला वाक्य ही अपने-आप में बहुत-कुछ बोलता है। यह वाक्य है कि हम भारत के लोग, इसमें बड़े-बूढ़े, महिलाएँ और बच्चे भी शामिल हैं। यह पंक्ति बच्चों के लिए बराबर लागू होती है। आज के बच्चे ही कल के भारत का भविष्य बनेंगे। बच्चों के विकास की आधारशीला संविधान के माध्यम से रखी गई है और सभी सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी भी लगाई गई है कि बच्चों का अगर सम्पूर्ण विकास करना है तो उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार ही सोच का निर्माण करना चाहिए। संविधान निर्माता के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका बाल विकास नीतियों को संस्थागत बनाने में महत्वपूर्ण थी। प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों में शामिल हैं:

- **अनुच्छेद 21ए:** 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 15(3):** राज्य को बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 45:** छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 24:** खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है।

ये प्रावधान एक समतामूलक समाज की उनकी दृष्टि को प्रतिबिंबित करते हैं जहाँ प्रत्येक बच्चे को समग्र विकास के अवसर मिलते हैं।

सामाजिक आंदोलनों और बाल अधिकार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की सक्रियता नीतियों तक सीमित नहीं थी । उन्होंने जमीनी स्तर पर आंदोलनों का नेतृत्व किया। महाड़ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने समानता और मानव गरिमा पर जोर दिया जिससे वंचित समुदायों को अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की आशा मिली। उनके भाषण अक्सर बच्चों की आकांक्षाओं और क्षमताओं को निखारने के महत्व पर केंद्रित रहते थे।

प्रभाव और विरासत

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पहल आज भी बाल कल्याण और शिक्षा पर आधुनिक नीतियों को प्रभावित करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), मध्याह्न भोजन योजना और वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जैसी योजनाएँ उनके सिद्धांतों की प्रतिध्वनि है। उनका समग्र दृष्टिकोण स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक-आर्थिक समानता सहित राष्ट्रीय विकास के लिए एक मॉडल बना हुआ है।

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का बाल विकास का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और समानता में उनकी आस्था से प्रेरित था। उन्होंने शिक्षा और कल्याण के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जिससे समावेशी और प्रगतिशील समाज की नींव पड़ी। उनका कार्य हमें याद दिलाता है कि बच्चों में निवेश करना समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला है।

संदर्भ

1. अम्बेडकर, बी. आर. (1948). *बुद्ध और उनका धम्म।*
2. भारतीय संविधान (1950)।
3. डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा किए गए विभिन्न शैक्षिक और विधायी सुधार।